

अध्याय आठवीं

सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]

(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम।	अनुलग्नक के अनुसार
(ii) रचना	
(iii) तारीखें जिनसे गठन हुआ	
(iv) अवधि/कार्यकाल	
(v) शक्तियाँ और कार्य	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित।
(vi) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	नहीं
(vii) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?	नहीं
(viii) वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हैं?	(vii) को देखते हुए सवाल नहीं उठता

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) भारत सरकार का एक उपक्रम है जो रेल मंत्रालय, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत की। रेलटेल एसोसिएशन के अनुच्छेद 67 में निहित प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति होगी। सीपीएसई होने के नाते, सभी बोर्ड स्तर की नियुक्तियों का चयन हमारे प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीएसईबी) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। बोर्ड की वर्तमान संरचना यहां नीचे बताई गई है :-

- श्री संजय कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री राकेश रंजन, निदेशक (नेटवर्क, योजना एवं विपणन)/अतिरिक्त। शुल्क
- श्री वी. राम मनोहर राव, निदेशक/वित्त
- श्री मनोज टंडन, निदेशक/परियोजना संचालन एवं रखरखाव
- श्री रमेश्वर मीना, अंशकालिक शासकीय। नामांकित निदेशक
- डॉ. सुभाष शर्मा, स्वतंत्र निदेशक
- श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक

2. वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के लागू प्रावधानों के अनुसार कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड स्तर की समितियाँ कार्य कर रही हैं।

विनियम, 2015, यथा संशोधित:-

- डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)।
- डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार हितधारक संबंध समिति।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी के एसोसिएशन के लेख और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, रेलटेल बोर्ड समय-समय पर उपरोक्त बोर्ड स्तरीय समिति का पुनर्गठन करता है। इन बोर्ड स्तरीय समितियों की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है:-

	का नाम समिति	समिति(ओं) की संरचना	के अंतिम पुनर्गठन की तिथि समिति
1.	अंकेक्षण समिति	1. डॉ. सुभाष शर्मा, स्वतंत्र निदेशक 2. श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक 3. श्री रमेश्वर मीना, अंशकालिक शासकीय। नामांकित निदेशक	पर पुनः गठित किया गया 17/03/2023.

2.	सीएसआर समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक 2. श्री राकेश रंजन, निदेशक/एनपीएम (अतिरिक्त शुल्क) 3. श्री वी. राम मनोहर राव, निदेशक/वित्त 	10/11/2022 को आयोजित 136 वीं बीओडी बैठक में पुनर्गठन किया गया ।
3.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. सुभाष शर्मा, स्वतंत्र निदेशक 2. श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक 3. श्री रमेश्वर मीना, अंशकालिक शासकीय। नामांकित निदेशक 	पर पुनः गठित किया गया 17/03/2023.
4.	हितधारकों संबंध समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक 2. श्री राकेश रंजन, निदेशक/एनपीएम (अतिरिक्त शुल्क) 3. श्री वी. राम मनोहर राव, निदेशक/वित्त 	10/11/2022 को आयोजित 136 वीं बीओडी बैठक में पुनर्गठन किया गया ।
5.	जोखिम प्रबंध समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री संजय कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. श्री राकेश रंजन, निदेशक/एनपीएम (अतिरिक्त शुल्क) 3. श्री वी. राम मनोहर राव, निदेशक/वित्त 4. श्री मनोज टंडन, निदेशक/पीओएम 5. श्री एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक 6. श्री एचसी बत्रा, मुख्य जोखिम अधिकारी 	बोर्ड संकल्प दिनांक 24/12/2021 के तहत पुनः गठित ।
6.	आंतरिक आज्ञाकारी समिति (आईसीसी) यौन संबंधी कार्यस्थल पर उत्पीड़न जगह	<ol style="list-style-type: none"> 1. सुश्री हरितिमा जयपुरिया, जीएम/आईटीपी 2. श्रीमान. नवेद तालिब, जीएम/मैकेनिकल 3. सुश्री सीमा कालरा, एसएम/अमीन 4. डॉ. किरण मोदी, संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी उदयन केयर एडवोकेसी - बाहरी सदस्य 	¹² अक्टूबर 2021 को समिति का पुनर्गठन किया गया ।
